# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :114/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/199)

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. मलकीत सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति सैनी निवासी 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:– 28.06.2024

उपस्थितः 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 29.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/61 के मुरब्बा नम्बर 18 की 2.354 हैक्टेयर भूमि नहरी व मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर भूमि बारानी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर वादी अपनी फसल काश्त करता है तथा उक्त तमाम भूमि की पानी की पर्ची भी नहरी विभाग द्वारा वादी के नाम से जारी करके वादी को दी हुई है और वादी पानी की पर्ची के अनुसार ही उक्त तमाम रकबा पर पानी लगाता है तथा कृषि कार्य करता है। लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर भूमि सहवन से बारानी दर्ज हो गई। जबकि उक्त तमाम भूमि नहरी है। जिसकी पानी की बारी की पर्ची सिंचाई विभाग द्वारा वादी के नाम से जारी की हुई है एंव वादी उक्त भूमि पर पानी की पर्ची के अनसार पानी लगता चला आ रहा है। सी.सी.ए. रिकॉर्ड में उक्त भूमि नहरी दर्ज है। इसलिए वादीगण उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा आज से दो रोज पूर्व तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को तमाम तथ्यों से अवगत करवाते हुए एंव तमाम रिकॉर्ड दिखाकर उक्त भूमि बारानी से नहरी दर्ज किए जाने का निवेदन किया। तो तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/61 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राकः टीआरए/2024/626 दिनांक 25.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एक्स की जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सँख्या 66/61 के मु0न0 18 का किला न0 1/4 का 0.127 नहरी, 2/0.253 नहरी, 3/0.253 नहरी ,4/1 का 0.190 नहरी ,8 ता 12 (सालम) नहरी, 19/2 का 0133 नहरी, 20/1 का 0.133 नहरी = 2.354 नहरी एंव मु0 न0 46 का किला न0 20/0.253 बारानी = 0.253 है0 कुल 2.354+0.253 = 2.607 है0 नहरी/बारानी भूमि मलकीत सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति सैनी निवासी 2 एक्स के नाम खातेदार दर्ज है। चक 2 एक्स की जमाबंदी संन 1923 मे मु0न0 54 का किला न0 20 नहरी दर्ज है। एंव जमाबंदी संवत 2005–08 खाता सँख्या 64 में मु0न0 54 का किला न0 20 नहरी दर्ज है, परन्तु भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2027–36 मे मु0न0 46 का किला नम्बर 20 बारानी दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल चक 2 एक्स का वर्तमान मुरब्बा नम्बर 46 गत मुरब्बा नम्बर 54 है।

सहायक कलक्टर एंव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुताबिक सीसीए रिकार्ड अनुसार चक 2 एक्स का मु0न0 न0 54 के 9 बीघा 8 बिस्वा रकबा कमाण्ड है एंव जल उपभोक्ता संगम 14 एस द्वारा चक 2 एक्स के मु0न0 न0 54/46 के 09 बीघा 8 बिस्वा रकबे की मलकीत सिंह पुत्र तेजा सिंह को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है एंव नाम पटवार मण्डल चक 2 एक्स के अनुसार चक चक 2 एक्स के मु0न0 46 का किला न0 20/0.253 बारानी दर्ज है। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय ) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि राजस्थान उपनिवेशन ( गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय ) नियम 1956 के नियम 7(क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि राजस्व (उपनिवेशन) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.7 (7)उप/2005 जयपुर दिनांक 25.08.2007 अनुसार देय अन्तरराशि वसूली से शेष नही है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/61 की प्रति, भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2027–36 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, सीसीए चक प्लान की प्रति, पानी की पर्ची की प्रति, राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2005 ता 2008 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/61 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2005 ता 2008 में मुरब्बा नम्बर 54(वर्तमान मुरब्बा नम्बर 46) का किला नम्बर 20 नहरी दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 में मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 20 बारानी दर्ज है। उसके बाद की समस्त जमाबन्दीयों में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की किस्म बारानी चली आ रही है। यह एक लिपिकीय त्रुटि है। जो भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 में सहवन से मुरब्बा नम्बर 46 का किला नम्बर 20 नहरी से बारानी दर्ज हो गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एक्स की जमाबंदी संन 1923 मे मु0न0 54 का किला न0 20 नहरी दर्ज है। एंव जमाबंदी संवत 2005–08 खाता सँख्या 64 में मु0न0 54 का किला न0 20 नहरी दर्ज है, परन्तु भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2027–36 मे मु0न0 46 का किला नम्बर 20 बारानी दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल चक 2 एक्स का वर्तमान मुरब्बा नम्बर 46 गत मुरब्बा नम्बर 54 है। मुताबिक सीसीए रिकार्ड अनुसार चक 2 एक्स का मु0न0 न0 54 के 9 बीघा 8 बिस्वा रकबा कमाण्ड है एंव जल उपभोक्ता संगम 14 एस द्वारा चक 2 एक्स के मु0न0 न0 54/46 के 09 बीघा 8 बिस्वा रकबे की मलकीत सिंह पुत्र तेजा सिंह को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है एंव नाम पटवार मण्डल चक 2 एक्स के अनुसार चक चक 2 एक्स के मु0न0 46 का किला न0 20/0.253 बारानी दर्ज है। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय ) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि राजस्थान उपनिवेशन ( गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय ) नियम 1956 के नियम 7(क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि राजस्व (उपनिवेशन) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.7 (7)उप/2005 जयपुर दिनांक 25.08.2007 अनुसार देय अन्तरराशि वसूली से शेष नही है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
(श्रीगंगानगर)

प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/61 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर**

**ब इजलास श्री श्योराम** (आर.ए.एस.)

मलकीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 114/2024

**निर्णय दिनांक :- 29.09.2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 **राजस्थान** काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 **भली-भांति** साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का **2 एक्स,** भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता **2079** के खाता संख्या 66/61 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 20 की **0.253** हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 29.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| **योग** | **04** | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांकः 29.09.2025

क्रमांकः रीडर/2025/744

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर